भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2152
12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

श्रीनिवासपुरी के लिए पुनर्विकास योजना

2152. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) दक्षिण दिल्ली लोक सभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी क्षेत्र के पुनर्विकास की संपूर्ण योजना का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वर्ष 2019 में यह वादा किया गया था कि उक्त क्षेत्र के मकानों को तोड़कर प्रथम चरण छत्तीस माह में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन छह वर्ष बाद भी प्रथम चरण पूरा नहीं हुआ है, जबकि संपूर्ण विकास चार चरणों में किया जाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त क्षेत्र की दुकानों को तोड़ दिया गया था और प्रथम चरण में ही उक्त दुकानों को पुनः आवंटित करने की योजना थी, लेकिन उक्त कार्य को चौथे चरण के लिए टाल दिया गया है; और
(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्विकास के उक्त चारों चरणों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): श्रीनिवासपुरी स्थित जीपीआरए कॉलोनी की पुनर्विकास योजना निम्नलिखित 4 पैकेजों में शुरू की गई है:

(i) पैकेज-I (टाइप-III): 3112 टाइप-III आवासीय क्वार्टर, एक बहुस्तरीय कार पार्किंग, सीजीएचएस औषधालय, सामुदायिक केंद्र।

(ii) पैकेज-II (टाइप-II): 1240 टाइप-II आवासीय क्वार्टर, जिनमें मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा है।

(iii) पैकेज-III (टाइप-IV): 1220 टाइप-IV आवासीय क्वार्टर, जिसमें यूटिलिटी ब्लॉक भी सहित है।

(iv) पैकेज-IV (सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर): सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन, प्रसूति केंद्र, डाकघर, बीएसईएस कार्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि।

श्रीनिवासपुरी पैकेज-I कॉलोनी के कार्य का ठेका फरवरी 2019 में दिया गया था और तदनुसार कॉलोनी को खाली कराने और ध्वस्त कराने का कार्य किया जाना था। हालांकि, वन विभाग से वृक्ष प्रत्यारोपण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका और पैकेज-I का कार्य फरवरी 2023 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में, पैकेज-I के कार्य का अगस्त 2025 में पुनः ठेका दिया गया और इस पैकेज-I के पूरा होने की तिथि जून 2028 है।

(ग): दुकानों को ध्वस्त नहीं किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पैकेज-IV का हिस्सा है।

(घ): उक्त पुनर्विकास योजना के चारों पैकेजों को पूरा करने की समय सीमा जून 2030 है।

*****